फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री माधु **विपक्षी :– श्री मांगीलाल**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 09/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.07.2021

पत्रावली प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। मूल वाद तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण में मूल वाद दिनांक 02.03.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका हैं। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 10/19 अनवान माधु बनाम मांगीलाल दिनांक 02.03.2021 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। पत्रावली पूर्व में बहस दावा में नियत थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश किया हैं। कोरोना महामारी के कारण देरी का पर्याप्त कारण प्रतीत होता हैं। अतः धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं। चूंकि प्रकरण में 02.03.2021 को खारिज होने के बाद दिनांक 15.07.2021 को प्रार्थना पत्र लगाया गया है जो कि 4 माह की देरी से पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र को कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम का 500/– अक्षरे पांच सौ रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 10/19 अनवान माधु बनाम मांगीलाल में आदेश दिनांक 02.03.2021 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रार्थी द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करने पर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.07.22 17:44:33 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(F.T.) मावली